## प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-13 से 2013-14 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों को कटौती के अनुमोदन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जिंन्हें 2012-13 से 2014-15 की अविध के लिए जुलाई से अक्तूबर 2015 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।